। विज्ञप्ति ।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 169/IX-1/2015 /2011/2016 दिनांक 10–03–2016 के अन्तर्गत व्राह्य स्त्रोतों से जनपद में विभागीय वाहनों की अधिप्राप्ति हेतू फर्म/वाहन स्वामियों से टैक्सी/मैक्सी कैब की मासिक/दैनिक किराए की दरों के निर्धारण हेतू निविदाएं आमंत्रित की जाती है। अतः इच्छुक फर्म/वाहन स्वामी जनपद, बागेश्वर के अन्तर्गत टैक्सी/मैक्सी कैब की(अधिकतम वाहन कय मूल्य 06 लाख 08 लाख 12 लाख एवं 15 लाख) की दरों के निर्धारण विषयक निविदा दिनांक 26-02-2018 तक इस कार्यालय में सीलबन्द लिफाफे में जिस पर उनका नाम/पता एवं दूरभाष संख्या सुस्पष्ट लिखा गया हो उपलब्ध करा सकते हैं। निविदा का प्रारूप दिनांक 26-02-18 तक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। दिनांक 26-02-2018 तक प्राप्त निविदा ही स्वीकार की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट,
बागेश्वर।